(e) if not, what are the reasons therefor; and

(f) the name of the competent authority in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH) (a) to (c) DDA has reported that this decision has been taken to enable the registrants under the New Pattern Scheme, 1979 to procure flats from thte DDA of the category for which they were registered. In order to safe guard the interests of the Weaker Section of the Society, while taking this decision the DDA has eliminated the income eligibility critria laid down in the brochure for this scheme in respect of the lower income group and EWS categories. The registrants of these categories will now be considered for allotment of a flat even if their income exceeds the limits laid down in the brochure of this scheme. In the past, conversions were being sought and allowed primarily to accommodate the registrants who had crossed the income limits.

(d) and (e) Do not arise as this is only an administrative decision.

(f) Head of Housing Department of DDA.

Sharing of Government accommodation

4079. DR. H. P. SHARMA: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 1351 given in the Rajya Sabha on the 7th August, 1987 and state

(a) the date since when the procedure of intimating the Directorate of Estates regarding sharing of accommodation by the allottee has been changed;

(b) whether the change so made has been brought to the notice of the employees;

(c) if so, the number and date of the circular issued to this effect;

(d) if the answer to part (b) above be in the negative, what are the reasons therefor;

(e) whether it is a fact that according to the previous orders the particulars of the sharer are to be intimated to the Director of Estates within two months of the commencement of the sharing;

(f) if so, what has promoted Government to bring the change in the procedure;

(g) whether Government propose to liberalise the procedure further keeping in view the acute shortage of quarters; and

(h) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) Since 11-7-87, the date of publication of the relevant notification in the Gazette of India.

(b) and (c) Ministries/Departments have been informed the position and requested to bring this to the notice of all officials working in Ministries/Departments and attached and subordinate offices, on 4-8-87.

(d) Question does not arise.

(e) Previously intimation was required to be given for sharing by certain categories of employees.

(f) Stipulation of sending prior intimation has been considered necessary to detect cases of subletting.

(g) and (h) No, Sir.

दिल्ली की बस्तियों में सड़कों तथा गलियों की मरम्मत

4080. **श्री सुनील कुमार पटनायक :** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र विशेषतया इसके यमुनापार क्षेत्र में पूर्वी भाग में उन बस्तियों के नाम क्या हैं जो नियमित हैं या जो दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत हैं ;

(ख) उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित बस्तियों की कुल संख्या कितनी है जहां चालू वर्ष के दौरान सड़कों तथा गलियों की मरम्मत

या निर्माण किए जाने की संभावना है और इन कार्यों पर कुल कितनी धनराशि खर्च किए जाने का प्रस्ताव है ; और

(ग) गौतमपुरी बस्ती के लिए कुल कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है और उसका ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) यमुनापार क्षेत्र में दिल्ली नगर निगम के क्षेत्राधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत नियमित कालोनियां दिल्ली विकास प्राधिकरण को अन्तरित की गई नियमित कालोनियों की सूची संलग्न है । (**देखिए** परिशिष्ट CXLIII अनुबंध संख्या 160)

(ख) पूर्वी दिल्ली में 252 नियमित की गई अनधिकृत कालोनियां हैं । पूर्वोक्त कालोनियों में दिन-प्रतिदिन की मरम्मत/सड़कों/गलियों, नालियों इत्यादि के अनुरक्षण के अतिरिक्त सूची में उल्लिखित कालोनियों के विकास के लिए 200 लाख रुपये का व्यय करने का प्रस्ताव है ।

(ग) गौतमपुरी कालोनी के लिए अलग से कोई नियतन नहीं किया गया है ।

भारत में विनिर्मित आई० एस० 4151 हेलमेट

@4081. **श्रीमती वीणा वर्मा** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में विनिर्मित हेलमेट आई०एस० 4151 बायो मेडिकल इंजीनियरिंग केंद्र आई०आई०टी० के चारों टैस्टों में खरा उतरा है ; और

(ख) यदि नहीं तो आई०एस०आई० मार्का हेलमेट में सुधार लाने के लिये सरकार की कोई योजना है ; यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ?

@Previously Unstarred Question 3561 Transferred from the 25th August, 1987.

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) दि बायो मेडिकल इंजीनियरिंग केंद्र आई०आई०टी० दिल्ली, कोई परीक्षण केंद्र नहीं है बल्कि हेलमेट के लिए नए डिजाइनों का विकास करने हेतु एक "अनुसंधान केंद्र" है ।

(ख) इस समय भारतीय मानक ब्यूरो का भारतीय मानक आई०एस० 4151-1982 को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

दिल्ली नगर निगम के दैनिक वेतन कर्मचारी

4082. **श्री सूरज प्रसाद** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली नगर निगम के जलपूर्ति विभाग में वर्ग III तथा वर्ग IV के ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी-कितनी है जो पिछले तीन वर्षों से दैनिक वेतन पर काम कर रहे हैं उन्हें अभी तक नियमित न किए जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि उच्चतम न्यायालय ने अपने हाल के निर्णय में निदेश दिया है कि जिन कर्मचारियों ने 240 दिन की सेवा पूरी कर ली है उन्हें नियमित किया जाए ; और

(ग) दिल्ली नगर निगम और दिल्ली प्रशासन के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत ऐसे दैनिक वेतन कर्मचारियों की संख्या कितनी है जो अपनी नियुक्ति के समय अधिक आयु के थे लेकिन उन्हें नियमित करते समय आयु सीमा में छूट दे दी गयी है और ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान यह छूट नहीं दी गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।